भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2229
उत्तर देने की तारीख 07 अगस्त, 2025
16 श्रावण, 1947 (शक)

खेल संस्थानों में उत्पीड़न के मामले

2229 श्री संदोष कुमार पी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान हमारे देश के खेल संस्थानों से दर्ज किए गए यौन, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के मामलों की राज्य-वार सूची क्या है;

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान उन यौन, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के मामलों की राज्य-वार सूची क्या है जिनमें दोषियों को दोषी ठहराया गया और दंडित किया गया;

(ग) क्या सरकार खेल के मैदानों से दर्ज किए गए उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को लेकर चिंतित है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार के पास खेल के मैदानों में उत्पीड़न के मामलों पर रोक लगाने के लिए व्यावहारिक उपाय शुरू करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): खेल राज्य का विषय होने के कारण, केंद्र सरकार देश के सभी खेल संस्थानों के आंकड़े नहीं रखती है। हालाँकि, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तत्वावधान में आने वाले खेल संस्थानों के संबंध में पिछले पाँच वर्षों के दौरान दर्ज यौन, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के मामलों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) से (ङ): सरकार खेल के क्षेत्र में उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए निरंतर प्रयासरत है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तत्वावधान में आने वाले खेल शिक्षा संस्थान जैसे कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई), राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय (एनएसयू), इम्फाल , मणिपुर, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय (एलएनसीपीई), तिरुवनंतपुरम और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनएस-एनआईएस), पटियाला ने ' कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न

(रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया है।
साथ ही, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने खिलाड़ियों की यौन, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की शिकायतों सहित अन्य शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:

- साई मुख्यालय, नई दिल्ली और इसके क्षेत्रीय केंद्रों में एक आंतरिक शिकायत समिति गठित और अधिसूचित की गई है। शिकायतों का समाधान, 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' और 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोस्को अधिनियम), 2012' के अनुसार किया जाता है।

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के मार्गदर्शन में बच्चों (युवा खिलाड़ियों) की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और इन्हें सभी साई शैक्षणिक/क्षेत्रीय केंद्रों को अधिसूचित कर दिया गया है।

- उत्पीड़न की रोकथाम के बारे में समय-समय पर अधिकारियों को जागरूक करने के लिए मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों पर नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

- साई में एक टोल-फ्री नंबर 24*7 कॉल सेंटर के रूप में कार्य कर रहा है, जिस पर एथलीट शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

अनुबंध

'खेल संस्थानों में उत्पीड़न के मामलों' के संबंध में श्री संदोष कुमार पी, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 07.08.2025 के लिए पूछे गए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2229 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

खेल संस्थानों की राज्य-वार सूची जहां पिछले पांच वर्ष के दौरान लैंगिक, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के मामले दर्ज किए गए हैं:

क्र.सं.	**राज्य**	**केंद्र/संस्थान का नाम**	**दर्ज मामलों की संख्या**	**उन मामलों की संख्या जिनमें सज़ा दी गई है**	**लंबित मामलों की संख्या**	**बंद किए गए मामलों की संख्या**
1.	मणिपुर	राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, इम्फाल	1	1	0	0
2.	कर्नाटक	साई,आरसी बेंगलुरु	5	4	0	1
3.	दिल्ली	साई मुख्यालय	10	4	0	6
4.	महाराष्ट्र	साई,आरसी मुंबई	3	0	0	3
5.	केरल	एलएनसीपीई, तिरुवनंतपुरम	4	1	2	1
6.	पश्चिम बंगाल	साई,आरसी कोलकाता	1	0	0	1
7.	उत्तराखंड	साई, एसटीसी (लखनऊ)	1	1	0	0
8.	ओडिशा	साई,एसटीसी (कोलकाता)	1	0	1	0
9.	राजस्थान	साई, एसटीसी (गांधीनगर)	2	0	1	1
10.	हरियाणा	साई,आरसी (सोनीपत)	2	1	1	0
11.	छत्तीसगढ	साई, एसटीसी (भोपाल)	1	1	0	0
कुल			**31**	**13**	**5**	**13**
